



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16107 वर्ष 2026

हीरा लाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: कमलेश कुमार द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए., प्रशांत यादव, राजीव कुमार

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना बसई अरेला जिला आगरा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 7 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 302, 34, 328 आईपीसी में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 17.05.2024 से 19.05.2026 के बीच हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 21 महीने और 22 दिन के बाद दिनांक 09.03.2026 को दर्ज की गई थी। सूचनादाता द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब पुलिस प्राधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे, तो उसके द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी या धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के तहत कोई आवेदन क्यों नहीं दिया गया। यह आगे तर्क दिया गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूरक शपथपत्र के साथ संलग्न विसरा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें आर्गेनोक्लोरो कीटनाशक विष पाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक को पुरानी दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान अभियोजन के मामले के प्रति बहुत विश्वास पैदा नहीं करते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 10.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मैंने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का परिशीलन किया है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- हीरा लाल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।
 - (iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।
 - (iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रश्न दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प होगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

25 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"